भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 23*

19 नवम्बर, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: जैव-उर्वरकों को बढ़ावा देना

***23. श्री धर्मवीर सिंहः**

श्रीमती शारदा अनिल पटेलः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल ही में हुए एक अध्ययन से यह पता चला है कि अधिकांश गंभीर रोग रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से हो रहे हैं, यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में एक अध्ययन करने हेतु कोई ठोस कार्यक्रम बनाया है;

(ख) क्या सरकार का रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के दृष्टिगत जैव-उर्वरकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का विचार है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ऐसे जैव-उर्वरकों के उत्पादन/अनुसंधान को बढ़ावा देने का विचार है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जैव-उर्वरकों की कोई कमी न हो तथा उनका उत्पादन भी प्रभावित न हो और वे किफायती रहें यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने कृषि उत्पादन पर जैव उर्वरकों के प्रभाव के बारे में कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं;

(ङ) रासायनिक उर्वरकों के कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव की स्थिति से बचने हेतु उनके स्थान पर बेहतर गुणवत्ता वाले जैविक/जैव-उर्वरकों को बढ़ावा देने हेतु सरकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का रासायनिक उर्वरकों हेतु स्थापित बिक्री केन्द्रों की तर्ज़ पर जैविक/जैव-उर्वरकों के लिए भी बिक्री केन्द्रों की स्थापना करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

<u>कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)</u>

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

<u>जैव-उर्वरकों को बढ़ावा देने के संबंध में लोकसभा में दिनांक 19.11.2019 को उत्तर दिए जाने वाले तारंकित प्रश्न सं. *23 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण</u>

(क) रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के विवेकपूर्ण इस्तेमाल का मानव स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के विविकपूर्ण इस्तेमाल के संबंध में किसानों को प्रोत्साहित करने के प्रयोजनार्थ संयुक्त प्रयास कर रही है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने हाल ही में "कीटनाशकों का स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों" नामक शीर्षक से एक बहु केंद्रीय अध्ययन शुरू किया है ताकि कम और अधिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करने वाले क्षेत्रों में आबाद लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति का मूल्यांकन किया जा सके।

(ख) से (ड.) भारत सरकार पूंजी निवेश राजसहायता स्कीम (सीआईएसएस), परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई), पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर), राष्ट्रीय तिलहन और ऑयल पॉम मिशन (एनएमओओपी) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) सहित विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के तहत जैव उर्वरकों के उत्पादन और इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। इससे संबंधित विवरण **अनुबंध-I** पर प्रस्तुत है।

सरकार द्वारा विभिन्न हस्तक्षेपों के जरिए किए गए प्रयासों के फलस्वरूप कैरियर आधारित जैव उर्वरकों का उत्पादन 2015-16 में 88029 एमटी से बढ़कर 2017-18 में 121066 एमटी हो गया है। इसी प्रकार द्रव आधारित जैव उर्वरकों का उत्पादन 2015-16 में 6241 (केएल) से बढ़कर 2017-18 में 9033 केएल हो गया है।

आईसीएआर ने **"मृदा जैव विविधता-जैव उर्वरक नेटवर्क परियोजना"** के तहत विभिन्न फसलों और मृदा की किस्मों के लिए विशेष जैव उर्वरकों की समुन्नत और कुशल उपभेद किस्मों को विकसित किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला है कि अधिकांश फसलों में रासायनिक उर्वरकों के साथ इस्तेमाल किए जाने पर

फसल की उपज में 10-25 प्रतिशत तक और कीमती संपूरक रासायनिक उर्वरकों (एन,पी) के इस्तेमाल से लगभग 20-25 प्रतिशत तक वृद्धि हो सकती है।

(च) भारत सरकार ने आनलाईन *jaivikkheti.in* पोर्टल के जरिए जैविक/जैव उर्वरकों के विक्रय का प्रावधान किया है। उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 (एफसीओ) के अनुसार राज्य निजी और सहकारी समितियों से संबंधित डीलरों के बिक्री केंद्रों पर रासायनिक उर्वरकों के साथ जैविक/जैव उर्वरकों की बिक्री की भी अनुमति दे सकते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों द्वारा जैविक बिक्री केंद्रों की स्थापना की गई है।

अनुबंध-1

जैविक/जैव उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास

- **पूंजी निवेश राज सहायता स्कीम (सीआईएसएस):** भारत सरकार पूंजी निवेश राज सहायता स्कीम (सीआईएसएस) के तहत राज्य सरकारों/सरकारी अभिकरणो को प्रति वर्ष 200 टन (टीपीए) क्षमता के अत्याधुनिक द्रव/कैरियर आधारित जैव उर्वरक ईकाईयों की स्थापना करने के लिए प्रति ईकाई अधिकतम 160.00 लाख रूपए की सीमा तक 100 प्रतिशत सहायता देकर जैव उर्वरकों के उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। इसी प्रकार वैयक्तिक/निजी अभिकरणों के लिए पूंजी निवेश के रूप में प्रति ईकाई 40 लाख रूपए की सीमा तक लागत की 25 प्रतिशत राशि की सहायता दी जाती है।
- **परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई):** 3 वर्षों की अवधि के लिए प्रति हैक्टेयर 50,000 रूपए की सहायता दी जाती है जिसमें से 31,000 रूपए (62 प्रतिशत) डीबीटी के जरिए सीधे किसानों को आदानों (जैव उर्वरक, जैव कीटनाशक,वर्मी कंपोस्ट, वानस्पतिक सार आदि), की खरीद और उत्पादन/विक्रय, फसलोपरांत प्रबंधन आदि के लिए दिए जाते हैं।
- **पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर):** किसानों को कृषि और गैर कृषि जैविक आदानों, बीजों और रोपण सामग्री के लिए प्रति 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रति हैक्टेयर 25,000/ रूपए की सहायता दी जाती है।
- **राष्ट्रीय तिलहन और ऑयल पॉम मिशन (एनएमआओपी):** 50% की दर से वित्तीय सहायता के आधार पर जैव उर्वरकों, रिजोबियम कल्चर/फोसफेट सोलूब्लाइजिंग बैक्टिरिया (पीएसबी)/जिंक सोलूब्लाइजिंग बैक्टिरिया (जेडएसबी)/एजेटोबेक्टर/माईकोरिजा और वर्मी कंपोस्ट सहित विभिन्न घटको के लिए प्रति हैक्टेयर 300 रूपए की राज सहायता दी जा रही है।
- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम):** एनएफएसएम के तहत प्रति हैक्टेयर 300 रूपए तक की राशि के 50 प्रतिशत की दर जैव उर्वरकों (रिजोबियम/पीएसबी) को बढ़ावा देने के प्रयोजनार्थ वित्तीय सहायता दी जाती है।
- **आईएनएम और आईपीएम:** भारत सरकार मृदा स्वास्थ्य कार्ड कार्यक्रम और समेकित कीट प्रबंधन (आईपीएम) अभ्यासों यथा कीटनाशकों के औचित्यपूर्ण इस्तेमाल सहित कीटों

के कृषि, यांत्रिकी और जैविक नियंत्रण के प्रयोजनार्थ मृदा परीक्षण आधारित समेकित पोषक प्रबंधन (आईएनएम) को भी बढ़ावा दे रही है।

आईसीएआर से संबंधित अनुसंधान कार्यक्रम:

- **एक एकड़ पर आधारित समेकित जैविक खेती प्रणाली (आईओएफएस) मॉडल:** केरल, मेघालय और तमिलनाडु में किसानों के लिए उपयुक्त आईओएफएस मॉडल बनाए गए हैं जिनके तहत खेतों पर जैविक कृषि के लिए अपेक्षित आदानों की 80 प्रतिशत से अधिक मात्रा उत्पन्न करने की व्यवस्था की गई है।
- **अखिल भारतीय जैविक खेती नेटवर्क कार्यक्रम (एआई-एनपीओएफ):** इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न स्थानों पर प्रबंधन पैकेज में नवाचारी अभ्यासों के साथ खाद के जरिए पोषकों के न्यूनीकृत उपयोग का मूल्यांकन किया जा रहा है जिसमें जैव उर्वरक भी शामिल हैं।

******